



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

42AA 868177

बहु मन्त्रालय द्वारा लिखित/लेखित किया गया है
जिसका क्रमांक है AT-24748
सहायक निबंधक
राज्य कोषावली एवं वट
मुंबई



स्मृति पत्र

1. संस्था का नाम : विप्रज्ञान सेवा समिति
2. संस्था का पता : 459-C पूरा दलेल, अल्लापुर, इलाहाबाद
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
4. संस्था का उद्देश्य :

1. शिक्षा के बहुमुखी विकास हेतु प्राथमिक विद्यालय से हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट, स्नातक, स्नातकोत्तर विद्यालय, पुस्तकालय एवं वाचनालय खोलना और कृषि शिक्षा, अध्यात्मिक शिक्षा, श्रौढ़ शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा आदि के शिक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना एवं उसका संचालन करना।

2. महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु निराश्रित महिला कल्याण केन्द्रों, नारी निकेतनों, शिल्पकला केन्द्रों, सिलाई, कढ़ाई, कताई, बुनाई, हेयर एंड स्किन केयर, फैशन डिजाइनिंग, ड्रेस डिजाइनिंग, कम्प्यूटर व टंकण प्रशिक्षण दृश्य एवं गायन आदि के शिक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना तथा उसे संचालित करना।

3. ग्राम समाज, निगमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, बैंकों, सहकारी समितियों, सरकारी विभागों, उ०प्र० खादी एवं ग्रामोद्योग तथा अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग कमीशन, भूमि, भवन, दान, चंदा तथा अन्य सहायता, ऋण, अनुदान प्राप्त करना और उसे संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए खर्च करना।

4. संस्था के कार्यक्षेत्रों में आने वाले निर्धन, बाल बंधुआ एवं बहुभार्याजदूरों, श्रमिकों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों, विकलांगों एवं निराश्रितों को आत्म निर्भर बनाते हुए निःशुल्क शिक्षण, प्रशिक्षण, आवास, भोजन, परिवार परक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना तथा उनका संचालन करना तथा उनके लिए निःशुल्क चिकित्सा एवं शिविरों का आयोजन करना।

5. विकलांग गृहों, मिश्रक कल्याण केन्द्रों, अनाथालय, शिशु गृहों एवं महिला गृहों आदि की स्थापना एवं संचालन।

6. एड्स आदि घातक बीमारी के विषय में जागरूकता व बचाव के उपायों का प्रचार-प्रसार करना।

7. स्वास्थ्य व परिवार कल्याण सेवा हेतु निःशुल्क सुविधायें देना तथा स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा संचालित सभी योजनाओं का प्रचार-प्रसार एवं निःशुल्क सुविधायें प्रदान करना।

राज्य पतिलिपि

राज्य पतिलिपि
उत्तर प्रदेश सरकार
अल्लापुर, इलाहाबाद

8. पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण एवं वृक्षारोपण कार्यक्रमों का संचालन तथा प्रचार-प्रसार करना।
9. ग्रामीण क्षेत्रों में ऊसर भूमि सुधार हेतु प्रयास करना, इस हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का क्रियान्वयन करना।
10. महिला-पुरुष समानता, महिला सशक्तिकरण, महिला शोषण उन्मूलन, दहेज निवारण, आत्म निर्भर बनाने हेतु कार्यक्रमों का आयोजन एवं संचालन, बाल व्यायामशाला, बल कौशल कार्यशाला, बाल स्वास्थ्य पोषण, बाल बंधुआ मजदूरी पर रोक, बाल श्रम उन्मूलन केन्द्र, कार्यक्रम, शिविर, कार्यशालाओं का आयोजन एवं संचालन आदि।
11. वैज्ञानिक कृषि-विस्तार हेतु निःशुल्क कृषि परामर्श केन्द्र, हरित पट्टिका विकास, गृह वाटिका, उद्यान विकास, सरकार की योजनाओं, कृषि भण्डारण निधि से कृषकों को अवगत कराने के लिए केन्द्र की स्थापना एवं संचालन व उर्वरक, बीज, पौध वितरण केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन।
12. विभिन्न प्रकार के प्रदूषण वायु, ध्वनि, जल एवं स्थल को कुप्रभाव से बचाव हेतु मानव समुदाय को शिक्षित एवं प्रशिक्षित करना, प्रदूषण नियंत्रण केन्द्रों का संचालन।
13. प्रकृति संकट जैसे भयंकर तूफान, बाढ़, भूकम्प, सूखा, दुर्घटना आदि आपदाओं में प्रशिक्षित स्वयं सेवकों द्वारा सरकार का सहयोग करना और मानविकी सुरक्षा सेवाएं उपलब्ध कराना, उनके लिए वस्त्र राशन जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को प्राप्त करना उनका संग्रह एवं वितरण आदि।
14. ट्राइसेम, इवाकारा, उद्यमिता विकास, नेहरू रोजगार, स्वर्ण जयंती आदि योजनाओं से रोजगार युक्त प्रशिक्षण देकर लोगों को आत्मनिर्भर बनाना।
15. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के कार्यक्रमों हेतु चारटावल अस्पताल, परिवार कल्याण परामर्श केन्द्र, जच्चा-बच्चा केन्द्र व शिविर का आयोजन का टीकाकरण, स्वास्थ्य, जांच एवं उपचार करने का प्रयास करना।
16. केन्द्र सरकार एवं प्रदेश सरकार को नीतियों और कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए कार्य करना, कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना, कृषक-प्रशिक्षण एवं कृषि विपणन तथा उत्पादन के क्षेत्रों में प्रशिक्षण का कार्य करना।
17. भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करना जिसमें सामाजिक कल्याण एवं अधिकारिता मंत्रालय समाज कल्याण मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय, कर्पाट,

सत्य पत्रलिपि

आपक निम्न
 नम्बर 10/6/05
 10/6/05



5. संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम/पिता/पति का नाम, पते तथा व्यवसाय, जिनको संस्था के नियमावली के अनुसार संस्था का कार्यभार सौंपा गया है:-

क्र०	नाम/पिता का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्री ज्ञानसिंह पुत्र श्री छोटेलाल सिंह	सोनाई, करछना इलाहाबाद	अध्यक्ष	अधिवक्ता
2.	श्री हृदय सिंह पुत्र स्व० रामेश्वर सिंह	41K/2B/1 साकेत नगर जयन्तीपुर इलाहाबाद	उपाध्यक्ष	नौकरी
3.	श्री विकास सिंह पुत्र श्री ज्ञान सिंह	459-C पूरा दलेल, अल्लापुर, इलाहाबाद	प्रबन्धक/मंत्री	समाजसेवा
4.	रीना सिंह पुत्री श्री छत्रपाल सिंह	221/B करैलाबाग, बालूमार्केट इलाहाबाद	उपप्रबन्धक	समाजसेवी
5.	श्री अजय सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह	हुल्ला का पूरा, बगवना, इलाहाबाद	कोषाध्यक्ष	कृषि
6.	श्री धर्मराज सिंह पुत्र स्व० वैजनाथ सिंह	कुआंडीह, सरायअकिल, इलाहाबाद	सदस्य	कृषि
7.	श्री प्रकाश सिंह पुत्र श्री ज्ञान सिंह	सोनाई, करछना इलाहाबाद	सदस्य	कृषि
8.	श्री भानु प्रताप सिंह पुत्र स्व० उमापति सिंह	बिगहनी, मेजा इलाहाबाद	सदस्य	व्यापार
9.	श्री कमलेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री शम्भूनाथ गुप्ता	कैथी चौराहा, करछना, इलाहाबाद	सदस्य	व्यापार
10.	श्री विकास कुमार पाण्डेय पुत्र श्री श्रीकान्त पाण्डेय	बडगोहना खुर्द, करमा, इलाहाबाद	सदस्य	कृषि
11.	श्रीमती सीमा सिंह पत्नी श्री उदय सिंह	काँदी, सहसों, इलाहाबाद	सदस्य	गृहणी
12.	श्री कमलेश कुमार आदिवासी पुत्र श्री शिव प्रसाद आदिवासी	सोनाई, करछना, इलाहाबाद	सदस्य	कृषि
13.	श्री सोम सिंह पुत्र स्व० पापा सिंह	कनैली, सरायअकिल, कौशाम्बी	सदस्य	कृषि

सत्य प्रतिलिपि

सत्य प्रतिलिपि
सत्य प्रतिलिपि

48668

2/11/11

Jingh

Boyl

RenuaSingh

2/11/11

सत्य प्रतिलिपि

2/11/11

KKBoyl

विनायक कुमार

सीमा सिंह

कमलेश कुमार

S.Singh

6. हम निम्न हस्ताक्षरकर्तागण उपरोक्त स्मृति पत्र के अनुसार सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 21सन् 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत कराना चाहते हैं।

दिनांक - 22/05/2008

क्र०	नाम/पिता का नाम	पता	पद	व्यवसाय	हस्ताक्षर
1.	श्री ज्ञानसिंह पुत्र श्री छोटेलाल सिंह	सोनाई, करछना इलाहाबाद	अध्यक्ष	अधिवक्ता	
2.	श्री हृदय सिंह पुत्र स्व० रामेश्वर सिंह	41K/2B/1 साकेत नगर जयन्तीपुर इलाहाबाद	उपाध्यक्ष	नौकरी	
3.	श्री विकास सिंह पुत्र श्री ज्ञान सिंह	459-C पूरा दलेल, अल्लापुर, इलाहाबाद	प्रबन्धक/मंत्री	समाजसेवा	
4.	रीना सिंह पुत्री श्री छत्रपाल सिंह	221/B करैलावाग, बालुमाकेंट इलाहाबाद	उपप्रबन्धक	समाजसेवी	
5.	श्री अजय सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह	हुल्ला का पूरा, बगवना, इलाहाबाद	कोषाध्यक्ष	कृषि	
6.	श्री धर्मराज सिंह पुत्र स्व० बैजनाथ सिंह	कुआंडीह, सरायइनायत, इलाहाबाद	सदस्य	कृषि	
7.	श्री प्रकाश सिंह पुत्र श्री ज्ञान सिंह	सोनाई, करछना, इलाहाबाद	सदस्य	कृषि	
8.	श्री भानु प्रताप सिंह पुत्र स्व० उमापति सिंह	बिगहनी, मेजा इलाहाबाद	सदस्य	व्यापार	
9.	श्री कमलेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री शम्भूनाथ गुप्ता	कैथी चौराहा, करछना, इलाहाबाद		व्यापार	
10.	श्री विकास कुमार पाण्डेय पुत्र श्री श्रीकान्त पाण्डेय	बडगोहना खुर्द, करमा, इलाहाबाद	सदस्य	कृषि	
11.	श्रीमती सीमा सिंह पत्नी श्री उदय सिंह	काँदी, सहसों, इलाहाबाद	सदस्य	गृहणी	
12.	श्री कमलेश कुमार आदिवासी पुत्र श्री शिव प्रसाद आदिवासी	सोनाई, करछना, इलाहाबाद	सदस्य	कृषि	
13.	श्री सोम सिंह पुत्र स्व० पापा सिंह	कनैली, सरायअकिल, कौशाम्बी	सदस्य	कृषि	

सत्य प्रतिलिपि

कायम विभाग
जय कोशाधीन युवा विट
18/05/2008

नियमावली

1. संस्था का नाम : विप्रज्ञान सेवा समिति
2. संस्था का पता : 459-C पूरा दलेल, अल्लापुर, इलाहाबाद
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
4. संस्था की सदस्यता एवं सदस्यों के वर्ग:-

(अ) आजीवन सदस्य : संस्था को एक मुश्त 1001 रूपये नगद या इससे अधिक मूल्य की चल व अचल सम्पत्ति दान स्वरूप प्रदान करने वालों को आजीवन सदस्य बनाया जायेगा तथा क्रमांक 1, 2 व 3 के सदस्य आजीवन सदस्य होंगे।

(ब) सामान्य सदस्य : संस्था को प्रति वर्ष अप्रैल माह में 51 रूपये वार्षिक सदस्यता शुल्क प्रदान करने वालों को संस्था का सामान्य सदस्य बनाया जायेगा।

सदस्यता की समाप्ति :

1. मृत्यु होने पर, पागल होने पर, दिवालिया होने पर।
2. किसी न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर।
3. लगातार तीन बैठकों में बिना स्पष्ट कारण अनुपस्थित रहने पर।
4. त्याग पत्र देने पर तथा स्वीकार होने पर।
5. अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर।
6. सदस्यता शुल्क न अदा करने पर।
7. संस्था के विरुद्ध कार्य करने पर।

संस्था के अंग : संस्था के दो अंग होंगे।

1. साधारण सभा
2. प्रबन्धकारिणी समिति।

साधारण सभा

(अ) गठन : संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन किया जायेगा।

(ब) बैठकें : साधारण सभा की सामान्य बैठकें वर्ष में एक व विशेष बैठकें आवश्यकतानुसार कभी भी बुलाई जा सकती हैं।

(स) सूचना अवधि : सामान्य बैठक की सूचना 15 दिन व विशेष बैठक की सूचना 3 दिन

संस्था के अध्यक्ष

संस्था के अध्यक्ष
जय मोहाउदीन तथा बिंदु

40 608 इलाहाबाद

संचालन करना।

(ल) कार्यकाल : प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा जो आपात कालीन परिस्थितियों में एक वर्ष के लिए घटाया/बढ़ाया जा सकेगा।

7. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य:

अ. अध्यक्ष :

1. सभी प्रकार के बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. समान मत होने पर अपने निर्णायक मत का प्रयोग करना।
3. बैठकों की तिथियों का अनुमोदन करना।
4. त्याग पत्रों को स्वीकार करना।

ब. उपाध्यक्ष :

1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके समस्त कार्यों को सम्पादित करना।
2. अध्यक्ष का सहयोग करना।

स. प्रबन्धक/मंत्री :

1. संस्था के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्य करना।
2. संस्था की ओर से समस्त बिलों, वाउचरों, पत्रों का प्रेषण करना।
3. उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ऋण, दान-अनुदान, चंदा, चल व अचल सम्पत्ति आदि प्राप्त करना।
4. सरकारी, अर्द्धसरकारी, व गैर सरकारी कार्यालयों से सम्पर्क स्थापित करना तथा आदेश आदि प्राप्त करना।
5. संस्था के विरुद्ध के कार्य करने वाले सदस्यों व कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करना।
6. संस्था की तरफ से कम से कम रूपये एक हजार व्यय करना।
7. बैठकों की तिथि निश्चित करना व बैठक बुलाना आदि।
8. कर्मचारियों की नियुक्ति, निलम्बन, वेतन वृद्धि, वेतन विवरण एवं पदोन्नति व पदच्युत करना।
9. संस्था की चल-अचल सम्पत्ति पर नियन्त्रण रखना तथा अभिलेखों को सुरक्षित रखना।
10. त्याग पत्रों को स्वीकार करना।

11. संस्था का कोई भी कार्य प्रबन्धक/मंत्री को सूचित किये बिना सम्पन्न नहीं हो सकेगा।

द. उप प्रबन्धक :

1. प्रबन्धक की अनुपस्थिति में उनके समस्त कार्यों को सम्पादित करना।
2. प्रबन्धक के कार्यों में सहयोग करना व संस्था का प्रचार करना।

य. कोषाध्यक्ष:

1. वार्षिक आय-व्यय का विवरण तैयार करना।
2. आय-व्यय सम्बन्धी अभिलेखों को लिपिबद्ध करना।
3. सदस्यों से सदस्यता शुल्क प्राप्त कर रसीद देना।

सत्य पतिलिपि

सत्य पतिलिपि
अर्थ कोषाध्यक्ष तथा निदेशक
कर्मचारी

8. संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन प्रक्रिया:
संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन, साधारण सभा के 2/3 बहुमत से किया जायेगा।
9. संस्था का कोष:
संस्था का कोष किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/डाकघर में खाता खोलकर जमा होगा, जिसका संचालन प्रबंधक/मंत्री के हस्ताक्षर द्वारा किया जायेगा।
10. संस्था लेखा परीक्षण:
संस्था के समस्त आय-व्यय का लेखा परीक्षण प्रति वर्ष सत्र की समाप्ति पर संस्था द्वारा नियुक्त किसी योग्य आडिटर द्वारा किया जायेगा।
11. संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही का उत्तरदायित्व:
संस्था की अदालती कार्यवाही का संचालन संस्था के प्रबंधक/मंत्री द्वारा किया जायेगा।
12. संस्था के अभिलेख:
 1. सदस्यता रजिस्टर
 2. कार्यवाही रजिस्टर
 3. एजेण्डा रजिस्टर
 4. कैश बुक व लेजर
 5. स्टॉक रजिस्टर
 6. सूचना पंजिका।
13. संस्था का विघटन।
संस्था के विघटन और विघटित विवादित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।



सत्य प्रतिलिपि

दिनांक : 22-05-2008

Singh
Singh

हस्ताक्षर

Reena Singh
धर्मराज सिंह
पुष्पराज

सत्य प्रतिलिपि

Prakash
प्रकाश निम्बकर
ज्येष्ठ सोसाइटीय तथा विद्या
७०, ए. ६, इलाहाबाद

K. Gupta

विनाय कुमार
शीमा सिंह
कमलेश कुमार
S. Singh